



छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कर प्रकरण सं. 31/2019

(आयकर अपीलीय अधिकरण, रायपुर बेंच, रायपुर द्वारा आईटीए संख्या 50/आरपीआर/2018 में पारित दिनांक 16-1-2019 के आदेश से उत्पन्न)

आयकर आयुक्त, (छूट), भोपाल (म.प्र.)

---अपीलकर्ता

बनाम

श्री विमलनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर ट्रस्ट, नाकोडा भैरव नगर, पचपेडी नाका, रायपुर (छ.ग.)

--- उत्तरवादी

अपीलार्थी हेतु : श्री अजय कुमारानी, अधिवक्ता।

उत्तरवादी हेतु : श्री सुमित नेमा, वरिष्ठ अधिवक्ता, के साथ श्री आनंद दादरिया, अधिवक्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से।

युगल पीठ :--

माननीय श्री संजय के. अग्रवाल न्यायाधीश

तथा

माननीय श्री संजय कुमार जयसवाल, न्यायाधीश

पीठ पर आदेश

(01/04/2025)



संजय के. अग्रवाल, न्यायाधीश के अनुसार

1. आयकर अधिनियम, 1961 (संक्षेप में, 'अधिनियम') की धारा 260 ए के तहत प्रस्तुत यह कर अपील निम्नलिखित महत्वपूर्ण विधिक प्रश्नों को तैयार करके 15-3-2023 को सुनवाई के लिए स्वीकार की गई: ---

"1. क्या प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, आई. टी. ए. टी. ने सी. आई. टी. (ई.) को अधिनियम की धारा 12 ए के तहत पंजीकरण प्रदान करने का निर्देश देकर सही किया है, भले ही सी. आई. टी. (ई.) ने यह निष्कर्ष निकाला हो कि न्यास की गतिविधियाँ आम जनता के लिए पूरी तरह से धर्मार्थ नहीं हैं?"

2. क्या तथ्यों और प्रकरण की परिस्थितियों और विधि के आधार पर, आई. टी. ए. टी. द्वारा सी. आई. टी. (ई.) के निष्कर्षों पर विचार न करना सही है कि न्यास को कॉर्पस फंड के रूप में भारी मात्रा में दान प्राप्त हुआ है, लेकिन प्रस्तुत दान रसीदों की प्रति में यह ज्ञात होता है कि रसीद बुक की प्रति में कोई विशेष उद्देश्य या दानकर्ताओं का कोई विवरण नहीं दिया गया है?"

2. यहां निर्धारिती/उत्तरवादी ने अधिनियम की धारा 12 ए के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन किया है और करदाता/प्रतिवादी के उद्देश्यों और गतिविधियों को सत्यापित करने और धारा 12 ए में उल्लिखित शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, करदाता को नोटिस जारी करके सुनवाई का अवसर दिया गया था, जिसके जवाब में करदाता ने लिखित तर्क पेश कीं और उसके बाद, करदाता को कुछ और विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, हालांकि, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् आयकर आयुक्त (छूट), भोपाल ने दिनांक 28-3-2018 के आदेश द्वारा, अधिनियम की धारा 12 ए के तहत पंजीकरण की मांग करने वाले करदाता के आवेदन को खारिज कर दिया। सीआईटी (ई) द्वारा पारित दिनांक 28-3-2018 के आदेश से व्यथित होकर, करदाता ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, रायपुर बेंच, रायपुर के समक्ष अपील दायर की और आईटीएटी ने दिनांक 16-1-2019 के अपने आदेश द्वारा अपील को स्वीकार करते हुए कहा कि करदाता न्यास के उद्देश्य धर्मार्थ और धार्मिक प्रकृति के हैं, इसलिए करदाता न्यास अधिनियम की धारा 12 ए के तहत पंजीकरण के लिए हकदार है। करदाता/प्रतिवादी को अधिनियम की धारा 12 ए के तहत पंजीकरण प्रदान करने वाले आईटीएटी के आदेश को अपीलकर्ता द्वारा अधिनियम की धारा 260 ए के तहत प्रश्नगत किया गया है।

3. यहां अपीलकर्ता/राजस्व की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अजय कुमारानी ने प्रस्तुत किया कि आईटीएटी ने यह मानकर कर कि करदाता न्यास के उद्देश्य और प्रयोजन प्रकृति में धर्मार्थ और धार्मिक दोनों हैं, करदाता के पक्ष में पंजीकरण के लिए आवेदन को मंजूरी देकर पूरी तरह से अनुचित था, जबकि यह केवल धार्मिक प्रकृति का है और इसलिए अपील को स्वीकृत किये जाने योग्य है।

4. श्री सुमित नेमा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, जो यहां करदाता/उत्तरवादी के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए, आक्षेपित आदेश का समर्थन करते हैं और प्रस्तुत करते हैं कि आईटीएटी ने स्पष्ट रूप



से यह निष्कर्ष दर्ज किया है कि करदाता न्यास के उद्देश्य धर्मार्थ और धार्मिक प्रकृति के हैं, इसलिए, आईटीएटी ने अधिनियम की धारा 12 ए के तहत करदाता के पक्ष में पंजीकरण के लिए आवेदन को सही रूप से स्वीकार किया है।

5. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और उनके ऊपर किए गए प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया है तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को भी गहनता से अध्ययन किया गया है।

6. आयकर अधिनियम की धारा 12 ए(1)(बी)(आई) में निम्नलिखित उल्लेख है:---

“12 ए। पंजीकरण हेतु प्रक्रिया।(1) प्रधान आयुक्त या आयुक्त, धारा 12 ए की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ए) या खंड (एबी) के अधीन किसी न्यास या संस्था के पंजीकरण के लिए किए गए आवेदन की प्राप्ति पर,—

(क) **XXX XXX**

(ख) खंड (क) के उपखंड (i) के अधीन अपेक्षित न्यास या संस्था के उद्देश्यों तथा उसकी गतिविधियों की वास्तविकता तथा उक्त खंड के उपखंड (ii) के अधीन अपेक्षाओं के अनुपालन के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात्, वह—

(i) न्यास या संस्था को पंजीकृत करने के लिए लिखित आदेश पारित किया जायेगा;

(ii) **XXX XX**

तथा ऐसे आदेश की एक प्रति आवेदक को भेजी जाएगी:”

7. उपर्युक्त प्रावधान का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि प्रधान आयुक्त या आयुक्त को न्यास या संस्था के उद्देश्यों और उप-खंड (i) के तहत अपेक्षित उसकी गतिविधियों की वास्तविकता तथा उक्त खंड के उप-खंड (ii) के तहत अपेक्षाओं के अनुपालन के बारे में स्वयं को संतुष्ट करना होगा, तथा न्यास या संस्था को पंजीकृत करने के लिए लिखित में आदेश पारित करना होगा तथा पारित आदेश की एक प्रति आवेदक को भेजी जाएगी।

8. आनंदा सोशल एंड एजुकेशनल न्यास बनाम आयकर आयुक्त तथा अन्य 1 के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि बिना किसी गतिविधि के अपने उद्देश्यों के आधार पर नव पंजीकृत न्यास अधिनियम की धारा 12 ए के तहत पंजीकरण के लिए हकदार है, तथा निम्न प्रकार से टिप्पणी की गई:---

“9. धारा 12-ए निस्संदेह आयुक्त से अपेक्षा करती है कि वह न्यास या संस्था के उद्देश्यों और उसकी गतिविधियों की वास्तविकता के बारे में स्वयं संतुष्ट हो जाए और संतुष्ट होने पर ही पंजीकरण प्रदान करे। उक्तधारा के अनुसार आयुक्त को यह सुनिश्चित करने के लिए संतुष्ट होना आवश्यक है कि न्यास के उद्देश्य और उसकी गतिविधियाँ धर्मार्थ हैं, क्योंकि ऐसे पंजीकरण का परिणाम यह है कि न्यास अधिनियम की धारा 11 और



12 के तहत लाभ का दावा करने का हकदार है। दूसरे शब्दों में, यदि ऐसा प्रतीत होता है कि न्यास के उद्देश्य और उसकी गतिविधियाँ वास्तविक नहीं हैं, अर्थात् धर्मार्थ नहीं हैं, तो आयुक्त ऐसे पंजीकरण से इनकार करने का हकदार है और वास्तव में, इनकार करने के लिए बाध्य है।

10. हमारे सामने यह तर्क दिया गया कि आयुक्त को दो बातों के बारे में संतुष्ट होना आवश्यक है – पहला यह कि न्यास के उद्देश्य और दूसरा, इसकी गतिविधियाँ वास्तविक हैं। यदि न्यास द्वारा कोई गतिविधि नहीं की गई है, तो आयुक्त यह आकलन नहीं कर सकता है कि ऐसी गतिविधियाँ वास्तविक हैं या नहीं और इसलिए, आयुक्त ऐसे न्यास के पंजीकरण से इनकार करने के लिए बाध्य है।

11. हमने आयकर के अपीलकर्ता निदेशक की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री ऐश्वर्या भाटी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तर्क पर गहन विचार किया है और पाया है कि उनसे सहमत होना संभव नहीं है। अधिनियम की धारा 12-ए का उद्देश्य केवल ऐसे न्यास या संस्था के पंजीकरण को सक्षम करना है, जिनके उद्देश्य और गतिविधियाँ वास्तविक हैं। दूसरे शब्दों में, आयुक्त को यह संतुष्टि करनी होगी कि न्यास के उद्देश्य वास्तविक हैं और उसकी गतिविधियाँ न्यास के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए हैं, जो समान रूप से वास्तविक हैं।

12. चूंकि धारा 12-ए न्यास के पंजीकरण से संबंधित है और यह आकलन करने से नहीं कि न्यास ने वास्तव में क्या किया है, इसलिए हमारा विचार है कि प्रावधान में "गतिविधियों" शब्द में "प्रस्तावित गतिविधियाँ" शामिल हैं। अर्थात्, आयुक्त यह विचार करने के लिए बाध्य है कि क्या न्यास के उद्देश्य वास्तव में धर्मार्थ प्रकृति के हैं और क्या न्यास द्वारा प्रस्तावित गतिविधियाँ इस अर्थ में वास्तविक हैं कि वे न्यास के उद्देश्यों के अनुरूप हैं। इसके विपरीत, स्थिति अलग होगी जहां आयुक्त अधिनियम की धारा 12-ए की उपधारा (3) के तहत किसी न्यास के पंजीकरण को रद्द करने का प्रस्ताव करता है। वहां आयुक्त यह निष्कर्ष दर्ज करने के लिए बाध्य होगा कि न्यास द्वारा वास्तव में की गई कोई गतिविधि या गतिविधियाँ वास्तविक नहीं हैं क्योंकि वे न्यास के उद्देश्यों के अनुरूप नहीं हैं। इसी तरह, स्थिति अलग होगी जहां न्यास ने पंजीकरण हेतु आवेदन करने से पहले न्यास के उद्देश्यों के विपरीत गतिविधियाँ की हैं।"

9. आनंदा सामाजिक एवं शैक्षणिक न्यास (सुप्रा) में प्रतिपादित विधि के सिद्धांत का अनुपालन आयकर आयुक्त बनाम मेसर्स इंटरनेशनल हेल्थ केयर एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट 2 के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदन के साथ किया गया है, जिसमें कंडिका 14 और 15 में निम्नानुसार निर्णय दिया गया है: ---

"14. हम कुछ हद तक विद्वान ए. एस. जी से सहमत हो सकते हैं कि किसी भी करदाता के लिए अधिनियम की धारा 12 ए के तहत पंजीकरण की मांग करने का मुख्य उद्देश्य अधिनियम की धारा 10 और 11 के तहत छूट का दावा करना है, जैसा भी मामला हो। इसलिए, पंजीकरण की मांग करने से पहले, यह आवश्यक है कि न्यास आयुक्त की संतुष्टि के लिए ठोस सामग्री प्रस्तुत करे कि गतिविधियाँ वास्तव में धर्मार्थ प्रकृति की हैं।



15. उपर्युक्त सीमा तक कोई समस्या नहीं है। हम केवल इतना कह सकते हैं कि धारा 12-ए के तहत पंजीकरण मात्र से कोई भी धर्मार्थ न्यास अधिनियम, 1961 की धारा 10 और 11 के तहत छूट का दावा करने का अधिकार नहीं रखता है। जब कोई न्यास छूट का दावा करते हुए रिटर्न दाखिल करता है तो मूल्यांकन अधिकारी को सभी सामग्रियों को देखना चाहिए और स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए कि छूट का दावा वास्तव में किया गया है या नहीं। यदि मूल्यांकन अधिकारी आश्वस्त नहीं है तो उसके लिए छूट देने से इनकार करना सदैव खुला रहता है।"

10. वर्तमान प्रकरण में, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने पक्षों के तर्क पर विचार करने के बाद आदेश के कंडिका 6 में स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किया कि करदाता न्यास के उद्देश्य धर्मार्थ और धार्मिक दोनों प्रकृति के हैं और निम्नानुसार हैं:---

"6. ... हमने पेपर बुक में रखे गए न्यास के उद्देश्यों का अवलोकन किया है। हम पाते हैं कि करदाता न्यास के उद्देश्य धर्मार्थ और धार्मिक दोनों प्रकृति के हैं। इसलिए, यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि करदाता न्यास एक समग्र न्यास है और केवल धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए नहीं है। यह धर्मार्थ और धार्मिक दोनों उद्देश्यों के लिए न्यास है। ऐसी परिस्थितियों में आयकर आयुक्त बनाम के मामले में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय को लागू करके। बरखाटे सैफियाह सोसायटी (ऊपर), धारा 13 (1) (बी) भी निर्धारिती न्यास के मामले में लागू नहीं होती है।"

11. आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए इस स्पष्ट निष्कर्ष के तहत कि करदाता न्यास के उद्देश्य और लक्ष्य प्रकृति में धर्मार्थ और धार्मिक दोनों हैं, जिसका हमारे समक्ष बहस के दौरान अपीलकर्ता/राजस्व के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा सक्षम रूप से खंडन नहीं किया जा सका, इस प्रकार, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण का यह मानना पूरी तरह से उचित है कि करदाता न्यास अधिनियम की धारा 12 ए के तहत पंजीकरण के लिए हकदार है, जो अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर तथ्य का शुद्ध और सरल निष्कर्ष है और न तो विकृत है और न ही विधि के विपरीत है। इस मामले को ध्यान में रखते हुए, विधि के दोनों महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर निर्धारिती/उत्तरवादी के पक्ष में तथा राजस्व/अपीलकर्ता के विरुद्ध दिया जाता है। तदनुसार, वर्तमान कर अपील को खारिज किया जाता है तथा पक्षकारों को अपना खर्च स्वयं वहन करना होगा।

सही/-
(संजय के. अग्रवाल)
न्यायाधीश

सही/-
(संजय कुमार जयसवाल)
न्यायाधीश



अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

